रजिस्ट्री सं. डी.एल. 33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 7, 2012/श्रावण 16, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 117
No. 135] DELHI, TUESDAY, AUGUST 7, 2012/SHRAVANA 16, 1934 [N.C.T.D. No. 117

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 अगस्त, 2012

सं. फा. 03(09)/वित्त (क. एवं स्था.)/2009-10/पार्ट-1/डीएस III/556.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनिमय, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पदग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु.)	पदनाम
1.	कृष्ण कान्त	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
2.	जग मोहन	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
3.	राजेश धवल	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
4.	गोपाल कृष्ण माधव	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
5.	देवेन्द्र सिंह	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
6.	अशोक कुमार	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
7.	ओ. जे. जोसफ	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
8.	एम. पी. सिंह	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
9.	चन्द्र प्रकाश पाण्डे	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
10.	लक्ष्मण	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
11.	परवीन शर्मा	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
12.	संदीप भारद्वाज	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. के. कामरा, उप सचिव-III (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th August, 2012

No. F. 3(9)/Fin (T&E)/2009-10/Ptf.-I/DS III/556.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Officers with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :—

Sl. No.	Name of the Officer (Sh./Smt./Km.)	Appointed As
1.	Krishan Kant	Assistant Value Added Tax Officer
2.	Jagmohan	Assistant Value Added Tax Officer
3.	Rajesh Dhawal	Assistant Value Added Tax Officer
4.	Gopal Krishan Madhav	Assistant Value Added Tax Officer
5.	Devender Singh	Value Added Tax Inspector
6.	Ashok Kumar	Value Added Tax Inspector
7.	O. J. Joseph	Value Added Tax Inspector
8.	M. P. Singh	Value Added Tax Inspector
9.	Chandra Prakash Pandey	Value Added Tax Inspector
10.	Lachhman	Value Added Tax Inspector
11.	Praveen Sharma	Value Added Tax Inspector
12.	Sandeep Bhardwaj	Value Added Tax Inspector

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

S. K. KAMRA, Dy. Secy.-III (Finance)

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 अगस्त, 2012

सं. फा. 7(1)/राजस्व/जी.ए./राज. श./अ. उपा./पी. एफ./1554. —सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 182, दिनांक 27-4-2012 व इस विभाग के आदेश दिनांक 10-5-2012 के संदर्भ में श्री बिशन चन्दर (दानिक्स) ने दिनांक 9-5-2012 (पूर्वाह्न) को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (पश्चिम), जिला पश्चिम, दिल्ली का कार्यभार सम्भाल लिया है । अत: :—

1. दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री बिशन चन्दर (दानिक्स) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अतिरिक्त कलैक्टर नियुक्त करते हैं तथा उसी अधिनियम की धारा 6 तथा 76 के अंतर्गत उन्हें जिलाधीश राजस्व की शक्तियां प्रदान करते हैं ।

2. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 3(6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री बिशन चन्दर (दानिक्स) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपायुक्त के कार्य पालन हेतु शक्तियां प्रदान करते हैं ।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यथा विस्तारित पंजाब टेनेंसी अधिनियम, 1887 की धारा 105(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री बिशन चन्दर (दानिक्स) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं ।

4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री बिशन चन्दर (दानिक्स) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं ।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 14(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री बिशन चन्दर (दानिक्स) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं ।

6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम, 1948 की धारा 41(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री बिशन चन्दर (दानिक्स) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो पहले हो, कथित अधिनियम की धारा 21(4) के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) द्वारा धारा 21(3) में पारित किए गए आदेशों के खिलाफ समस्त अपीलें सुनने के लिए अपीलेट अथोरिटी नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

कुलदीप सिंह गंगर, विशेष सचिव (राजस्व)

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th August, 2012

No. F. 7(1)/Rev. Deptt./GA br./Rev.P./ADM/2012/ P.F./1554.—In pursuance of Services Department's Order No. 182, dated 27-04-2012 and further this deptt. order dated 10-5-2012 approved by Chief Secretary, Delhi, Sh. Bishan Chander, DANICS has joined as Additional District Magistrate (West), Distt. West on 09-05-2012(F/N). Now, therefore,

1. In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Delhi Land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Bishan Chander, DANICS as Additional Collector in the National Capital Territory of Delhi and delegates him the powers of Collector under Section 6 read with Section 76 of the said Act w.e.f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

2. In exercise of powers conferred by Section 3(6) of the Delhi Land Reforms Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to empower Sh. Bishan Chander, DANICS to discharge the functions of Deputy Commissioner under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, w.e.f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

3. In exercise of the powers conferred by Section 105(1)(a) of the Punjab Tenancy Act, 1887 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Bishan Chander, DANICS all the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

4. In exercise of the powers conferred by Section 27(1)(a) of the Punjab Land Revenue Act, 1887, as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon Sh. Bishan Chander, DANICS the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, w.e.f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

5. In exercise of the powers conferred by Section 14(A) of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Bishan Chander, DANICS all the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, w.e.f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

6. In exercise of powers conferred by Section 41(1) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoint Sh. Bishan Chander, DANICS and delegate him the powers of hearing appeals under Section 21(4) of the said Act against the order of Settlement Officer (Consolidation) passed under Section 21(3) of the said Act, w.e.f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
KULDEEP SINGH GANGAR, Spl. Secy. (Revenue)

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 7 अगस्त, 2012

सं. फा. 5(54)/पोलीसी-II/वैट/2011-12/ 451-463.—जबकि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पारस्परिकता के सिद्धांतों के अनुरूप, नई दिल्ली में नाईजर गणराज्य के दूतावास की सरकारी खरीद एवं इसके राजनयिकों के द्वारा निजी खरीद के पक्ष में, तत्काल प्रभाव से, वैट रिफंड की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से पत्र संख्या डी-II/451/12(11)/2011, दिनांक 18-7-2012 के द्वारा, अनुरोध किया गया है ।

और जबकि मैं राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, यह मानता हूं कि ऐसा करना जनसाधारण के हित में समीचीन है ।

अब, इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 103 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता हूँ, अर्थात् :—

संशोधन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की छठी अनुसूची में, भाग क में क्रम संख्या 1 पर प्रविष्टि में, क्रम संख्या (68) के उपरांत नई उप-प्रविष्टि सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

"(68ए) नाईजर गणराज्य

नई दिल्ली स्थित नाईजर गणराज्य के दूतावास की सरकारी खरीद और इसके राजनयिकों के द्वारा निजी खरीद के लिए मूल्य संवर्धित कर की छूट/वापसी"

रिफंड के लिए योग्य न्यूनतम इन्वाइस मूल्य 2500/- रुपये होगा " ।

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATIONS

Delhi, the 7th August, 2012

No. F. 5(54)/Policy-II/VAT/2011-12/451-463.—Whereas the Ministry of External Affairs, Government of India in accordance with the principle of reciprocity have

requested the Government of National Capital Territory of Delhi to grant facilities for exemption/refund of VAT in respect of official purchases of Embassy of the Republic of Niger in New Delhi and personal purchases of its diplomats, with immediate effect *vide* their letter No. D-II/451/12(11)/2011, dated 18-07-2012.

And whereas, I, Rajendra Kumar, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, am of the opinion that it is expedient in the public interest to do so.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), I hereby make the following amendments in the Sixth Schedule of the said Act, namely :—

AMENDMENTS

In the Sixth Schedule of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), in the entry at Sl. No. 1 in part-A, new sub-entry below Sl. No. 68 shall be inserted, namely :–

"(68A) Republic of Niger, New Delhi for VAT, exemption/refund for official purchases by it and for personal purchases of its diplomats.

Minimum Invoice value eligible for refund shall be Rs.2500/-."

सं. फा. 5(54)/पोलिसी-II/वैट/2011-12/ 438-450.—जबकि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पारस्परिकता के सिद्धांतों के अनुरूप, नई दिल्ली में सैशल्स गणराज्य के दूतावास की सरकारी खरीद एवं इसके राजनयिकों के द्वारा निजी खरीद के पक्ष में, तत्काल प्रभाव से, वैट रिफंड की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से पत्र संख्या डी-II/451/12(21)/2008, दिनांक 2-7-2012 के द्वारा, अनुरोध किया गया है ।

और जबकि मैं, राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, यह मानता हूं कि ऐसा करना जनसाधारण के हित में समीचीन है ।

अब इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 103 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता हूं, अर्थात् :—

संशोधन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की छठी अनुसूची में, भाग क में क्रम संख्या 1 पर प्रविष्टि में, क्रम संख्या (84) के उपरांत नई उप-प्रविष्टि सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

"(84ए) सैशल्स गणराज्य

नई दिल्ली स्थित सैशल्स गणराज्य के दूतावास की सरकारी खरीद और इसके राजनयिकों के द्वारा निजी खरीद के लिए मूल्य संवर्धित कर की छूट/वापसी।

रिफंड के लिए योग्य न्यूनतम इन्वाइस मूल्य 1500/- रुपये होगा ।

राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

No. F. 5(54)/Policy-II/VAT/2011-12/438-450.—Whereas the Ministry of External Affairs, Government of India in accordance with the principle of reciprocity have requested the Government of National Capital Territory of Delhi to grant facilities for exemption/refund of VAT in respect of official purchases of Embassy of the Republic of Seychelles in New Delhi and personal purchases of its diplomats, with immediate effect *vide* their letter No. D-II/451/12(21)/2008, dated 2-7-2012.

And whereas, I, Rajendra Kumar, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, am of the opinion that it is expedient in the public interest to do so.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), I hereby make the following amendments in the Sixth Schedule of the said Act, namely :—

AMENDMENTS

In the Sixth Schedule of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), in the entry at Sl. No. 1 in part-A, new sub-entry below Sl. No. 68 shall be inserted, namely :—

"(84A) Republic of Seychelles, New Delhi for VAT, exemption/refund for official purchases by it and for personal purchases of its diplomats.

Minimum Invoice value eligible for refund shall be Rs.2500/-."

RAJENDRA KUMAR, Commissioner, Value Added Tax

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.